



भारत सरकार
राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
गोविन्द नगर, पो. आफिस-उद्योग नगर, कानपुर- 208022

NSTIK/CITS/Admission/2020-21

Dated:- 08.01.2021

आवश्यक सूचना


CITS सत्र 2020-21 में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर में रेगुलर एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना व दिशा निर्देश:-

प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार सत्र 2020-21 का CITS Batch दिनांक 11 जनवरी 2021 से प्रारम्भ हो रहा है। रेगुलर एडमिशन के लिए प्रशिक्षणार्थियों को Provisional admission receipt, Counseling Fees Rs. 1000/- deposit receipt, Admit card of Entrance Test, Marksheet & Certificates of 10th /12th Exam, Marksheet & certificate of ITI/Diploma/ B.Tech, SC/ST/OBC/EWS certificate in format as published on nimionlineadmission site, if appearing in ITI/Diploma/B.Tech bonafide certificate issued by the concerned Principal/Institute की आरिजनल व फोटोस्टेट प्रति उपलब्ध करानी होगी।

1. सभी प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान परिसर में प्रवेश के समय कोरोना की नवीनतम RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा उनको संस्थान परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। इस टेस्ट का आनलाइन मिलान किया जायेगा तथा किसी भी तरह की गड़बड़ी पाये जाने पर सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
2. सभी प्रशिक्षणार्थियों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतू एप अनिवार्य रूप से इंस्टाल एवं उपयोग करना होगा।
3. प्रशिक्षण के दौरान सेनिटाईजेशन की व्यवस्था संस्थान द्वारा की जायेगी।
4. सभी प्रशिक्षणार्थियों मुंह पर फेस मास्क लगाकर आयेगें अन्यथा परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।
5. कक्षाओं के दौरान किसी प्रशिक्षणार्थी के बीमार/कोरोना पीड़ित होने पर उसे तत्काल अस्पताल में दाखिल होकर स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रहना होगा। अस्पताल का समस्त चार्ज प्रशिक्षणार्थी को स्वयं वहन करना होगा। कोविड से प्रभावित प्रशिक्षणार्थी संस्थान में नहीं आये क्योंकि ऐसा करने से दूसरे प्रशिक्षणार्थी भी प्रभावित हो सकते हैं।
6. सभी प्रशिक्षणार्थियों संस्थान में अभिभावक अनुमति पत्र पर अपने अभिभावक के हस्ताक्षर कराकर लाना अनिवार्य है।
7. ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिनके पारिवारिक सदस्य कोविड से प्रभावित हैं वे भी संस्थान न आये।
8. सभी प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान में प्रवेश के समय एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।
9. भारत सरकार के गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 के बारे में जारी की गई मानक प्रचालन कार्यविधि (SOP) का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
10. सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने पर प्रशिक्षणार्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त के अलावा सामान्य सुरक्षात्मक उपाये जिनका पालन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना है।

1. कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी।
2. फेस कवर/फेस शील्ड/मास्क अनिवार्य पहनना।
3. साबुन से जल्दी-जल्दी हाथ धोना/सेनेटाईजिंग।
4. श्वास सम्बन्धी नियमों का सख्ती से पालन करना जैसे खासते या छीकते समय मुंह और नाक को टीसू/रूमाल से ढक्कन रखना।
5. संस्थान के परिषर में गुटखा, पान-मसाला खा कर थूकना पुरी तरह प्रतिबन्धित है।


उपनिदेशक/कानपुर प्रादेशी
एन0एस0टी0आई0 कानपुर
R.C. MISHRA
Dy. Director
NSTI, MSDE (Govt. of India)
Kanpur (UP)

अभिभावक अनुमति पत्र

श्री / श्रीमति.....अपने पुत्र अपनी पुत्री.....
जिसका एनरोलमेंट संख्या.....ट्रेड.....
को कोविड-19 के बचाव हेतु संस्थान द्वारा किये गये प्रयासों को अपनी पुत्र / पुत्री हेतु सुरक्षित पाते हुए सहर्ष
संस्थान भेजने की अनुमति प्रदान करता / करती हूँ।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
अभिभावक का नाम.....
मोबाईल न0.....
पता.....
.....
.....
.....